न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 84/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामजीलाल पुत्र झूथा जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट प्रतिवादी

बनाम

1 बीरबल पुत्र बोदनराम जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:-- असल रेस्पो0 वादी

2 होशियार पुत्र ओमकार पौत्र हरसहाय जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराणा जिला अलवर (फौत)

2/1 पतासी पत्नी होशियार

2/2 रविन्द्र सिंह पुत्र होशियार जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

3 बायली देवी पत्नी बिशम्भर जाति जाट (मृतक)

4 पृथ्वीसिंह पुत्र बिशम्भर जाति जाट

5 रोहिताश पुत्र बिशम्भर जाति जाट

6 महिपाल पुत्र बिशम्भर जाति जाट

7 राजबीर पुत्र बिशम्भर जाति जाट निवासीयान ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

8 उप पंजीयक नीमराणा

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 लैंड होल्डर तहसीलदार नीमराणा जिला अलवर

:-- तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नीमराणा दिनांक 30.1.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अशोक कुमार मुदगल

2. वकील रेस्पो0 :- बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 17.12.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 1450/2015 (ए0सी0एम0 बहरोड 258/2011) अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 30.1.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1526 रकबा 5 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड में स्थित है । इस आराजी का साबिक नम्बर 1266 था । इसका पूर्व खातेदार रामजीलाल व ओमकार थे । उन्होंने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी को बेच दिया । उक्त बयनामा का इन्तकाल नम्बर 132 वादी के नाम स्वीकार हो गया तथा जमाबन्दी सम्वत 2033 में वादी के नाम का इन्द्राज हो गया । बंदोबस्त सम्वत 2042 में इस आराजी का नया नम्बर 1526 रकबा 5 एयर कायम कर पुनः रामजीलाल व ओमकार के नाम दर्ज कर दी गई । ओमकार फौत हो गया । उसके वारिससान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम विरासत इन्तकाल स्वीकार हो गया । बंदोबस्त विभाग को साबिक रेकार्ड परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों एवं अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की मुझे पूर्व

17/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

में कोई जानकारी नहीं हुई । दिनांक 17.5.17 को वकील साहब से मिले तो जानकारी हुई । जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी । जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । तहत अदालत द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 3 बिशम्भर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया गया था, परन्तु ना तो उसके वारिसान को तलब किया गया था, ना ही संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया था । और अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है अर्थात ना तो जवाब दावा का मौका दिया गया था, ना ही तनकियात कायम की गई, ना ही मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, ना ही दस्तावेजात को एग्जिविट करने का अवसर प्रदान किया, ना ही जिरह ली गई आदि । मेरिट्स के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गत खसरा नम्बर 1266 रकबा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1526 रकबा 5 एयर के खातेदार अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 01 रामजीलाल व रेस्पो0 संख्या 2/1, 2/2 तथा रेस्पो0 संख्या 4 ला0 7 (प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3) के बुजुर्ग ओमकार रहे हैं । उनके बाद हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार हैं और काबिज हैं । वादी रेस्पो0 संख्या 01 का कोई कब्जा नहीं है । बिना कब्जे के घोषणा का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता । तहत अदालत ने वाद धारा 136 का मानकर दुरूस्ती योग्य माना है, जबकि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 का प्रस्तुत किया था । इस प्रकार तहत अदालत को वाद पत्र की किस्म परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । उसे धारा 88, 89 व 188 के प्रावधानों के तहत ही निर्णय करना चाहिये था । अगर वाद पत्र धारा 136 का माना है तो प्रतिवादीगण संख्या 3/1 ला0 3/5 को सुना जाना आवश्यक था । तहसीलदार (भू अभिलेख) से रिपोर्ट मंगवाना व उनको सुना जाना आवश्यक था । धारा 136 में प्रार्थना पत्र निस्तारित होता है, वाद पत्र डिक्री नहीं होता है तथा धारा 136 का निर्णय भू अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है, ना कि उपखंड अधिकारी की हैसियत से । वादी/रेस्पो0 संख्या 01 ने तहत अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह मुकदमा नहीं चलाना चाहता है । इस प्रार्थना पत्र पर भी तहत अदालत ने गौर नहीं किया । अदालत हाजा में वादी रेस्पो0 संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ है । इसका तात्पर्य यही है कि उसे मेरी अपील के तथ्यों से कोई

17/11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आपत्ति नहीं है । उसने मेरी अपील के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है और देरी को कंडोन किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिकओं, वाद पत्र एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । इनके अवलोकन से सिद्ध है कि तहत अदालत में प्रतिवादी संख्या 03 बिशम्भर फौत हो गया था । इसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत किया गया था, जो स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु वारिसान की तलबी नहीं कराई गई । वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था, परन्तु निर्णय धारा 136 एल0 आर0 एक्ट पारित कर दिया । वादी ने वाद पत्र धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, जिसके निस्तारण हेतु सभी प्रतिवादीगण की तलबी कराई जाकर उनको जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है । गवाहों के बयनों एवं जिरह का अवसर दिया जाता है । जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद दावा व जवाब दावे के आधार आदेश 14 नियम 01 सी0 पी0 सी0 के तहत तनकियात विरचित की जाती है । फिर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 05 सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक तनकी का विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने ऐसी कोई प्रकिया नहीं अपनाई और आनन फानन में धारा 88, 89 व 188 के तहत प्रस्तुत किये गये वाद पत्र को धारा 136 एल0 आर0 एक्ट में मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसे कि विधिसम्मत नहीं

17/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

माना जा सकता । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम प्रकरण को धारा 88, 89 व 188 में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराणा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.1.2017 में धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट तथा सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों का अभाव पाये जाने से खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी व अन्य प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे तथा सी0 पी0 सी0 के विधिक प्रावधानों का पालना करते हुये तनकियात कायम करते हुये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर उभयपक्षों को सुनकर धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । अपीलांट को निर्देर्शित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 15.1.2020 को उपस्थित हो ।

8 निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/12/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर